न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/01/2024	2024/42	31–01–2024	26–06–2024

01– फूली देवी पत्नी भोरेलाल जाति माली निवासी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर।
02– श्रीमती धापा पुत्री देव्या पत्नी रामकिशन जाति माली निवासी तालवृक्ष मुण्डावरा जिला अलवर।
03– सन्तोष पुत्री देव्या पत्नी रामचन्द्र जाति माली निवासी तालवृक्ष मुण्डावर जिला अलवर।
04– कम्मो पुत्री देव्या पत्नी हनुमान जाति माली निवासी भीमरोड सराय विराट नगर जयपुर।
05– सरजो पुत्री देव्या पत्नी लल्लुराम जाति माली निवासी भीमरोड सराय विराट नगर जयपुर (राज0)।

– अपीलाण्ट

बनाम

01– सुनीता अग्रवाल पत्नी मनीष जैन निवासी थानागाजी जिला अलवर (राज0)
02– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब थानागाजी जिला अलवर

–रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार थानागाजी दिनांक 16.02.2021 अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट अधिनियम प्रकरण संख्या 01/2018

उपस्थितः–
01–श्री आनंद सिंह। –वकील अपीलाण्ट
02–श्री सुरेश चन्द शर्मा । –वकील रेस्पोडेन्ट

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहत अदालत तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 16.02.2021 प्रकरण संख्या 01/2018 निवासी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर के विरू इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है निर्णय दिनांक 16.02.2021 को अपीलान्ट निर्णय तहसीलदार थानागाजी के नाम दिनांक 16.02.2021 विधि व न्याय के प्रतिपादित सिद्वान्तों के एकदम विपरीत है। जिससे निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किये जाने योग्य है। अपील तहसीलदार थानागाजी साहब थानागाजी के निर्णय दिनांक 16.02.2021 के विरूद्व है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडण्ट सुनीता अग्रवाल का प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 को गलत तौर से स्वीकार किया है, जबकि प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट कतई पेश होने के काबिल नही था। मगर अदालत मातहत द्वारा गोर नही किया गया है, जिससे निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अपास्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 2617 रकबा 0.38 है0, में से 5/21 हिस्सा खरीद किया है, एवं अबट आराजी है का विधिक तकासमा नही हुआ है। जिस पर रेस्पोडेण्ट का प्रत्येक इंच पर कब्जा है। सक्षम न्यायालय से विधिक बटवारा होने के पश्चात ही उक्त विवादित आराजी में मौके पर प्रार्थीया विधिक रूप से काबिज हो सकती है। यदि मौके पर विवादित आराजी में बिना बटवारा के प्रार्थीया ने कोई चार दिवार बनाई है, तो वह अवैध बनाई है। मौके पर कोई रास्ता नही है, तो अप्रार्थी द्वारा रास्ता अवरूद्व करने का कोई प्रश्न नही पैदा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

नही होता है। जब आराजी मौके पर अबट है तो पटवारी हल्का अपनी रिपोर्ट में कानुनन कोई रास्ते की जगह या प्रार्थीया की खरीदी हुई, निश्चित जगह दर्शित नही कर सकता है। हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की है। इकरारनामा अनरजिस्र्टड है, जिसे साक्ष्य में नही पढा सकता है। इकरानामा के आधार पर तहसीलदार थानागाजी को उक्त प्रकरण का सुनने का कोई अधिकार नही था व ना है। इकरारनामा सविधा अधिनियम 10, 11 के तहत सविधा का दावा सिविल न्यायालय सुनेगा। राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है, उसके लिए एस.डी. ओ साहब अलवर को 251 क" आर.टी.एक्ट. के तहत प्रकरण सुनने का अधिकार है, ना की तहसीलदार साहब थानागाजी को। धारा 251 (2) में व्यवहार न्यायालय के सिविल कोर्ट मे समक्ष सुखधिकार की घोषणा हेतू नियमित वाद प्रस्तुत करने का प्रावधान है, तहसीलदार साहब थानागाजी को सुखधिकार घोषित करने का अधिकार नही। अपीलान्ट फूली देवी पत्नी भौरे लाल द्वारा खसरा नम्बर 2617 रकबा 0.38 है0, का बैचान नही किया है, फूली देवी के विरूद्व आदेश कानूनन गलत है। आज्ञा अधिनस्थ न्यायालय अपास्त की जावे।

वकील रैस्पो0 द्वारा अपनी बहस निवेदन किया कि दिनांक 26.04.2013 को फूली देवी द्वारा खसरा न0 2615 खरीद किया था, दिनांक 03.08.2013 को सुनीता द्वारा खसरा न0 2617 जो फूली देवी की खातेदारी की आराजी थी, का 5/21 हिस्सा खरीदा गया, सुनीता के खरीदशुदा भूमि पर विवाधित रास्ते के माध्यम से ही चार दीवारी का निमार्ण किया। सुनीता की आराजी तक जाने के लिए उक्त आराजी के समस्त मालिको ने इस बाबत एक इकरारनामा भी निष्पादित किया। जिसके चलते सुनीता की आवाजाही ही अपनी क्रयशुदा आराजी तक बरकरार थी। दिनांक 30.10.2015 को फूली देवी ने मिश्रो देवी के पक्ष में आराजी खसरा नं0 2615 मे से 76.11 वर्गगज का एक भूखण्ड बयनामा निष्पादित कराया, जिसमें भी हदूद अर्बा में तरफ पश्चिम को ही 20 फीट चौडा रास्ता दर्ज है। इसी प्रकार 30.10.2015 को ही फूली ने महेशचन्द पारीक को 2615 नम्बर में से 70.55 वर्ग गज भूमि का बयनामा निष्पादित किया, जिसमें भी तरफ पश्चिम 20 फुट चौडा रास्ता है फूली देवी के मन मे बदयान्ती आने पर पहले तो विवादित रास्ते पर कटीली बाढ लगाकर अवरूद्ध कर दिया गया, अप्रार्थीया की आवाजाही बन्द कर दी, बाढ हटाने की कहने पर प्रार्थीगान व उसके परिजन लडाई झगडे पर आमादा हो जाते है। तहसीलदर द्वारा दिनांक 05.01.2018 को मगवाई गई रिपोर्ट मे पटवारी हल्का द्वारा अंकित किया गया कि अप्रार्थीया के साथ इकरारनामा किया गया है, कि उत्तर दक्षिण लम्बाई में पूर्व पश्चिम 20 फीट चौडा रास्ता कायम कर मौके पर जारी किया गया। मुताबिक मौक उक्त. रास्ता खसरा नं0 2615 की दक्षिण सीमा कटीली बाढ व मेडबन्दी कर शुरूआत में ही बन्द कर दिया जिसमे मौके पर प्रार्थी की आवाजाही बन्द हो गई। पटवारी हल्का रिपोर्ट आने के बाद प्रार्थीगण ने कटीली बाड की जगह ईटो की 3–4 फिट ऊंची दीवार लगा दी जिसका हवाला भी दिनांक 8. 04.2013 को पटवारी, कानूनगो की रिपोर्ट मे दर्ज है। प्रार्थीगण के मन मे बेईमानी आने व प्रार्थीया को परेशान करने की नीयत से उक्त एक मात्र रास्ते को अवगत कर खरीशुदा आराजी के आने–जाने नही दे रहे है, प्रार्थी संख्या में अधिक है, लडाई व झगडालू होने के कारण अप्रार्थीया को परेशान कर रखा है। जबकि प्रार्थीया सरकारी अध्यापिका है, तथा कानून मे विश्वास रखती है। इस बाबत पूर्व में ग्राम पचांयत थानागाजी मे 10.04.2017 को प्रा0पत्र पेश किया लेकिन पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नही किये जाने पर तहसीलदार थानागाजी के समक्ष प्रा0पत्र पेश किया। 251 आर.टी.एक्ट के तहत पूर्व से चले आ रहे रास्तो को बन्द कर दिये जाने पर उन्हे खुलवाने का प्रावधान है। विभाजन का 53 188 आर.टी.एक्ट का वाद एस.डी.ओ. कोर्ट मे विचाराधीन है। अप्रार्थीया को रास्ता खुलवाने के साथ ही, अप्रार्थीया की आराजी के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करे। जिससे अप्रार्थीया अपनी आराजी का उपयोग–उपभोग कर सके । प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न इकरारनामा व रिपोर्ट पटवारी का अवलोकन किया। खसरा न0 2615 ग्राम थानागाजी की खातेदारी फूली देवी पत्नी भौरेलाल एवं खसरा न0 2613 ग्राम थानागाजी मे हिस्सा 5/7 के खातेदार दुर्गा पत्नी देव्या, कम्मो, सरजो, धापा, संतोष पुत्रीयान देव्या जाति माली निवासी थानागाजी के द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अप्रार्थीनी सुनीता अग्रवाल के साथ इकरारनामा किया है, कि खसरा न0 2617 मे उत्तरी हिस्सा आराजी पर आने–जाने हेतु, खसरा न0 2615 व खसरा 2613 के पूर्वी भाग पर उत्तर दक्षिण लम्बाई मे पूर्व पश्चिम में 20 फुट चौडाई का रास्ता कायम कर मौके पर जारी किया गया। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है, कि मुताबिक मौका उक्त रास्ता खसरा न0 2615 के दक्षिणी सीमा पर कटीली बाड व मेडबन्दी कर शुरूआत में ही बन्द किया हुआ है। मौके पर अप्रार्थीनी का आवगमन बन्द हो गया है। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीनी के लिए उसकी आराजी तक जाने का रास्ता पूर्व मे जारी था। प्रार्थीनी द्वारा भी उक्त आराजी तक जाने के लिए 20 फुट रास्ते के लिए अप्रार्थीनी के साथ इकरारनामा किया गया है। प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थीनी की आराजी तक जाने का रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है। जिसे खुलवाया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय उचित है, जिसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है। अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.02.2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)